न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

खण्डपीठ
श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य
श्री राजेश सिंह, सदस्य

अपील डिक्री/टीए/230/2002/भरतपुर

1. भीमसिंह पुत्र गिर्राज
2. चरनी उर्फ चरनसिंह पुत्र गिर्राज (फौत दि.14.5.2003)
   - 2/1 तेजसिंह पुत्र चरनी उर्फ चरनसिंह
   - 2/2 विजयसिंह पुत्र चरनी उर्फ चरनसिंह
   - 2/3 श्यामसिंह पुत्र चरनी उर्फ चरनसिंह
   - 2/4 रूपसिंह पुत्र चरनी उर्फ चरनसिंह
   - 2/5 लक्ष्मी पुत्री चरनी उर्फ चरनसिंह
   - 2/6 पुष्पा पुत्री चरनी उर्फ चरनसिंह
   - 2/7 किरनदेई बेवा चरनी उर्फ चरनसिंह

   समस्त जाति जाट निवासी तिलछिवी वैर जिला भरतपुर ....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र अतरसिंह
2. मानसिंह पुत्र अतरसिंह
3. गुलाबसिंह पुत्र अतरसिंह
4. मोहनसिंह पुत्र अतरसिंह
5. नवाबसिंह पुत्र अतरसिंह
   जातियान जाट निवासी तिलछिवी तहसील वैर, भरतपुर
6. मु0 सुफेदी पुत्री अतरसिंह पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी अलवर
7. मु0 विद्यादेवी पुत्री अतरसिंह पत्नी गंभीरसिंह जाति जाट निवासी तहसील व जिला भरतपुर
8. टीकमसिंह पुत्र कन्हैयालाल
9. रूपसिंह पुत्र कन्हैया
   जातियान जाट निवासी बतैया जिला भरतपुर
10. श्रीमती विद्या पुत्री कन्हैया पत्नील गोविन्दसिंह जाति जाट निवासी भरतपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर ...रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित :

श्री वैभव पारीक, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री रोहित सोनी व श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

दिनांक : 07/05/2026

निर्णय

(I) अपील के आधार :–

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 51/2001 बउनवानी भगवानसिंह आदि बनाम भीमसिंह आदि में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.12.2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

(II) प्रकरण के तथ्य :–

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण में मूल वादी अतरसिंह द्वारा सहायक कलेक्टर, वैर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपीलार्थी प्रारम्भ से ही तरतीबी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार था। वाद के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 29.03.2000 को वादी अतरसिंह की मृत्यु हो जाने पर प्रतिस्थापन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 08.02.2001 अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर मानते हुए निरस्त करते हुए तथा प्रत्यर्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वाद का निस्तारण कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा दिनांक 20.12.2001 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई तथा प्रकरण में प्रतिस्थापन संबंधी कार्यवाही पुनः विधिसम्मत रूप से करने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(III) पक्षकारों के तर्क व बहस :–

1. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्य के विपरीत है। अपीलार्थी वादी का पुत्र होने के नाते प्रारम्भ से ही वाद में पक्षकार रहा है तथा उसे पृथक से प्रतिस्थापन हेतु विलम्ब माफी के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर निरस्त करना एवं अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित था। यह भी तर्क दिया कि आदेश 22 नियम 3 एवं 9 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि अपीलार्थी पहले से ही वाद में विद्यमान पक्षकार था। अतः विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त करना अनुचित है, जिसे निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त बलवंत सिंह (फौत) बनाम जगदीश सिंह व अन्य [(2010) AIR (SC) 3043], माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त रेशम सिंह व अन्य बनाम विधिक वारिसान गूरबक्स सिंह व अन्य [2020 (3) DNJ (Raj.) 804] व तोपखानादेश गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम कालू व अन्य [2022 (4) DNJ (Raj.) 1435] प्रस्तुत किये गये।

2. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण की ओर से कथन किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों का पालन किए वाद का निस्तारण कर दिया था तथा प्रतिस्थापन संबंधी प्रार्थना–पत्रों का समुचित परीक्षण नहीं किया था। वादी की मृत्यु के पश्चात विधिक प्रतिनिधियों को विधि अनुसार अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक था तथा इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों पर उचित विचार न करना गंभीर त्रुटि है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अभिलेख का समुचित परीक्षण कर यह उचित रूप से अवधारित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरुद्ध था, इसलिए उसे निरस्त कर प्रकरण को विधिसम्मत रूप से पुनः विचारार्थ निर्देशित किया गया है, जो न्यायोचित एवं उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

(IV) विचारणीय बिन्दु :–

1. द्वितीय अपील के निस्तारण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय Inder Singh vs. State of MP [2025 INSC382] आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है –

> "We are of opinion that the second appeal deserves to heard, contested and decided on merits..."

2. स्पष्ट रूप से इस न्यायनिर्णय को समर्थन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 227 से भी मिलता है। सुविधा के लिये धारा 227 निम्न प्रकार है –

227. No decree or order to be reversed or modified for error or irregularity -

> No decree or order shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal, on appeal, on account of any mis-joinder of parties or causes of action or any error or irregularity in any proceedings, not affecting the mertis of the case.

अर्थात् सामान्यतः अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना गुणावगुण पर विवेचना किए कोई भी डिक्री या आदेश निरस्त या अपास्त नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त सुप्रतिपादित विधिक प्रावधानों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मूल वादी अतरसिंह द्वारा दायर वाद विचाराधीन रहते समय उसकी मृत्यु हो जाने पर प्रतिस्थापन संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2001 प्रस्तुत किया गया था। अभिलेख से यह तो प्रकट है कि अपीलार्थी प्रारम्भ से ही वाद में तरतीबी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार थे तथा वादी का पुत्र एवं

विधिक प्रतिनिधि होने के कारण उसका हित प्रारम्भ से ही वाद में निहित था, लेकिन तरतीबी पक्षकारों के रूप में मूल वाद में भगवानसिंह, मानसिंह, गुलाबसिंह, मोहनसिंह और नवाबसिंह प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 के रूप में समायोजित थे। हालांकि प्रार्थना–पत्र कायम मुकामी दिनांक 24.01.2001 के मुताबिक अतरसिंह की दो पुत्रियां और भी थीं, जिनके नाम सुफेदी और विद्यादेवी है। इस प्रार्थना–पत्र के जवाब में दिनांक 27.01.2001 को वादीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र पेश किया कि अतरसिंह की लगभग 8 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। अतः दावा वादी abate हो चुका है। इस तथ्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा एक मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है, जिसमें अतरसिंह की मृत्यु दिनांक 29.3.2000 को होना प्रकट होता है। इस तथ्य का कोई खण्डन अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष या अपनी वर्तमान अपील में भी नहीं किया गया है। आदेश 22 के प्रावधानों के अनुक्रम में एकल वादी की मृत्यु के पश्चात् सम्पूर्ण विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लेने का प्रार्थना–पत्र यदि विहित समयावधि में पेश नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरण/अपील का उपशमन स्वतः ही हो जाता है। इसके लिये किसी पृथक आदेश की जरूरत नहीं होती। हालांकि ऐसे उपशमन को समाप्त करने के लिये और प्रकरण को पुनर्स्थापित करने के लिये समुचित कारण बताते हुए विलम्ब को क्षमा करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया है।

4. प्रकरण की उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय उद्धरित न्यायनिर्णय बलवन्त सिंह बनाम जगदीश सिंह (Supra) में माननीय न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी वाद में आवश्यक पक्षकार की मृत्यु हो जाए और निर्धारित समयावधि में उसके विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाए, तो वाद या अपील स्वतः (Automatic) निरस्त हो जाती है। इसके लिए अलग से आदेश आवश्यक नहीं होता। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या कर सकता है, किन्तु इससे दूसरे पक्षकार के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों रेशम सिंह व अन्य बनाम विधिक वारिसान गूरबक्स सिंह व अन्य [2020 (3) DNJ (Raj.) 804] व तोपखानादेश गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम कालू व अन्य [2022 (4) DNJ (Raj.) 1435] में यह व्यवस्था दी गयी है कि – यदि किसी वाद में किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है और नियत समयसीमा के भीतर उसके कानूनी वारिसों

को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता, तो वाद निष्प्रभावी हो जाता है। माननीय न्यायालयों के उक्त प्रतिपादन के दृष्टिगत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में इस महत्वपूर्ण तथ्य की समुचित विवेचना नहीं की गई कि अपीलार्थी पूर्व से ही प्रकरण में पक्षकार था, लेकिन उसके द्वारा यह जानते हुए भी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है; 8 माह के विलम्ब से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया और उस विलम्ब का कोई समुचित कारण भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त समग्र परिस्थितियों में अभिलेख पर मौजूद तथ्यात्मक सामग्री एवं उसके अनुशीलन से विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 08.02.2001 में किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधानिकता प्रकट नहीं होती, क्योंकि उपशमन को निरस्त करने का और उपशमन निरस्त करने के लिये विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण या प्रार्थना–पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण की उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, वैर के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नहीं होती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत नहीं पाया जाता।

5. उपरोक्त समग्र विवेचन के अनुक्रम में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए विद्वान सहायक कलेक्टर का आदेश यथावत बहाल किये जाने योग्य पाया जाता है। तदानुसार आदेशित हो।

–: आदेश :–

उपरोक्त समग्र विवेचन, उभयपक्षों के तर्क, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधिक प्रावधानों एवं उद्धरित न्यायनिर्णयों के आलोक में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2001 निरस्त करते हुए विद्वान सहायक कलेक्टर, वैर का आदेश दिनांक 08.02.2001 यथावत बहाल किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेश सिंह)
सदस्य

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य